न्यायालय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–268/25
पसराहा थाना काण्ड सं0–25/25
मनीष कुमार उर्फ बबुआ एवं अन्य – बनाम् – राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।

02.08.2025

आवेदक/अभियुक्तगण–**1. मनीष कुमार उर्फ बबुआ एवं 2. छोटू कुमार** की ओर से दाखिल आत्मसमर्पण–सह–जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु अभिलेख प्रस्तुत किया गया। आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजनंदन प्रसाद को पुलिस कागजात प्राप्त कराया गया।

जमानत के बिन्दु पर आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया कि आवेदकगण को अनुसंधानक के द्वारा द0प्र0सं0 की धारा–41(i) के तहत लाभ दिया गया है, इसलिए उनकी की ओर से दाखिल आत्सम‍र्पण–सह–जमानत आवेदन को प्रचालित नहीं करना चाहते हैं तथा उन्होंने जमानत आवेदन पर नॉट प्रेस अंकित किया।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी।

अतः उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल आत्मसमर्पण–सह–जमानत आवेदन को नॉट प्रेस किये जाने के कारण **बिना गुण–दोष के खारिज** किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह0/–

अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।